



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

3

प्र.कं. /2010 पुनरीक्षण निगरानी-4290/2018/छतरपुर/भू.सं.

अवधरानी पत्नी रामसजीवन तिवारी
निवासी ग्राम बम्हौरीपुरवा तहसील लवकुश
नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदक

मुकेश भागीव काशी
द्वारा कान 29-6-18
प्रत्यक्ष। कार्मिक नय के
दिनांक 20-7-18 नियत।

विरुद्ध

बनारस ऑफिस कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 29-6-18

1. रामसेवक पुत्र गोरेलाल विदुवा
2. श्रीमती उषा पत्नी रामसेवक विदुवा
3. कुलदीप पुत्र रामसेवक विदुवा
4. शामिनी पुत्री रामसेवक विदुवा
5. अर्चना पुत्री रामसेवक विदुवा
6. कार्मिक तनय रामसेवक विदुवा

कं. 5 व 6 दोनों नाबालिग सरपरस्त मां ऊषा
पत्नी रामसेवक विदुवा
सभी निवासीगण ग्राम कटहरा तहसील
लवकुश नगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

WB
मुकेश भागीव
29-6-18 प्रत्यक्ष
ग्वालियर

न्यायालय तहसीलदार तहसील लवकुशनगर जिला छतरपुर
(म.प्र.) द्वारा राजस्व प्र.कं. 01/अ-6/2017-18 में पारित
आदेश दिनांक 28.4.18 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता
1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि -

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

6

अवधरानी / रामसेखर

R-21290/2018/कलकत्ता

10-8-18

आवेदन श्री ००० श्री सुदेश भार्गव उषा
प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु

CA-13-8-18

आदेश

13-8

13-8-18

आवेदन श्री ००० श्री सुदेश भार्गव उषा
उपरोक्त तर्क हेतु समझ-बूझ/समीक्षा
प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु

CA-27-8-18

13-8-18

27-8-18

27-8-18

आवेदन श्री ००० श्री सुदेश भार्गव
उषा/प्रकरण में कायमी पर सुनवाई
हेतु समझ-बूझ/प्रकरण में कायमी
हेतु

C.F. 10-9-18

सुनवाई

10-9-18

F.O

10-9-18

आवेदन श्री ००० श्री सुदेश भार्गव
उषा/प्रकरण में कायमी पर तर्क हेतु
आवेदन सुरक्षित

सुनवाई

पुनश्च

- आवेदिका अवधरानी के अधि. श्री सुदेश भार्गव के द्वारा तहसीलदार न्यायालय में 28/7/18 को अर्ज आपत्तिपूर्ण आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत आवेदन की Certify (तय प्रस्तुत की है), जिसके अनुसार उन्हें Civil Court से कोई Stay प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण तहसीलदार की कार्यवाही जारी है।
- अतः निगरानी प्रचलन में नहीं है। Stay के अभाव में तहसीलदार अपनी कार्यवाही जारी रखेंगे। 10.9.18

2